

**THE DOMESTIC SERVANTS  
(COMPULSORY POLICE VERIFI-  
CATION OF ANTECEDENTS)  
BILL, 1995**

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the compulsory police verification of antecedents of a person proposed to be employed as a domestic servant by an employer or a family in order to prevent the spate of ghastly crimes being committed by domestic servants in the national capital territory and other parts of the country particularly union territories and for matters connected therewith.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI SURESH PACHOURI: Madam, I introduce the Bill.

**THE LOD (REGULATION)  
BILL, 1995.**

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Madam, I beg to move leave to introduce a Bill to regulate the establishment and functioning of blood banks so as to make it obligatory to meet the safety standards by such blood banks by ensuring quick screening of the blood and testing it for HIV and other viruses and to provide for deterrent punishment for procuring blood from professional blood donors, by the blood banks and for matter connected therewith or incidental thereto.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI SURESH PACHOURI: Madam, I introduce the Bill.

**THE COMMON CITIZENS (BASIC  
AMENDMENTS) BILL, 1995**

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the basic amenities such as dwelling units with latrine, bathroom,

tap-water, sewerage, one electric bulb, PDS shops, recreation centres with T.V. and indoor games, community and health care centres, Barat Ghar, play grounds, public parks, public library, etc. by the State to the common citizens to enable them to derive the maximum benefits of economic progress made by the country and for matters connected therewith.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI SURESH PACHOURI: Madam, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI KAMLA SINHA): The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 1995. Shri Krishna Lal Sharma. Not present.

**THE CONSTITUTION (AMEND-  
MENT) BILL, 1995**

(To amend article 371)

डा० हापू कालदाते : उपर्युक्त महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*The question was put and the motion was adopted.*

डा० हापू कालदाते : महोदया, मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

**THE SMALL FAMILY (INCEN-  
TIVES AND MOTIVATION) BILL,  
1991—CONTD**

श्री सुरेश पचौरी (यथ्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं जब “द स्माल फैमिली (इनसेन्टिव एण्ड मोटिवेशन) बिल, 1991,

की चर्चा कर रहा था तो उस समय में यह आग्रह कर रहा था कि जहां हम इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय हित में जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है और एक सीमित परिवार का होना बहुत आवश्यक है, तो हम इस नीति पर पहुंचते हैं कि इस सबके लिए हमें कमिट्टेट, सपोर्ट की आवश्यकता होगी। मैं यह कह रहा था कि इसके लिए हमें राजनेताओं की सहायता लेना होगी, जो धार्मिक नेता हैं उनका सहयोग और आशीर्वाद लेना होगा, जो प्राइवेट मेडीकल प्रेक्टीशनर, जो एन-जी-ओस और वाल्युएटरी आर्गेनाइजेशन हैं उन सबका सहयोग लेना होगा। इसके अतिरिक्त जो महिला वर्ग है, उसको शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। विभिन्न प्रांकड़ इस बात को दर्शते हैं कि जहां महिला वर्ग में ज्यादा शिक्षा नहीं होती, वहां उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित करना और मुश्किल होता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया जाना राष्ट्रीय हित में और सामाजिक हित में आवश्यक है। इसलिए जब हम परिवार नियोजन कार्यक्रम पर विचार करते हैं, तो हमें यह और भी ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें महिला का स्टेटस है उसका जो दर्जा है, वह सम्मानजनक बनाना आवश्यक है।

**महोदया,** गांव में या पिछड़े हुए इलाके में जब ज्यादा शिशु पैदा होते हैं तो यह कहा जाता है कि ईश्वर का वरदान है, यह ईश्वर की देन है। कई लोग बड़े गवं के साथ कहते हैं कि माशा अल्लाह हमारे घर में इतने बच्चे हैं। **3.00 P.M.** शौर्य का प्रतीक नहीं मानना चाहिए बल्कि हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि आज जब हमारे देश की जनसंख्या बढ़ि दर अन्य देशों के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तब इस जनसंख्या बढ़ि दर में निरंतर कमी लाने के लिए हम संयुक्त रूप से प्रयास करें और यह तभी हो सकता है जब मैंने जिन बातों का उल्लेख किया है, उनको पूरा किया जाए। एक बात और आती है कि मन में यह लालच रहता है कि घर में वंश परम्परा को को बरकरार रखने के लिए पुत्र का होना बहुत आवश्यक है। इस धाराति को भी दूर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए जब मैं इस इंसेटिव बिल पर चर्चा कर रहा हूं हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए।

कि जिस परिवार में दो पुत्रियां हों, उनको हम कम से कम 25,000 रुपए की वित्तीय मदद दें या इस प्रकार की हम स्कॉल प्रारम्भ करें कि बांड के फॉर्म में उस परिवार को वह मदद मिल सके, इससे यह जो भावना लोगों के मन में आती है कि केवल पुत्री ही पुत्रों हुई तो फिर वंश को कौन चलाएगा, घर में आय के स्रोत क्या होंगे, ये मारी बातें खत्म हो जाएंगी।

**महोदया,** हम इस बात पर बहुत कन्विंस होते हैं कि बढ़ी हुई जनसंख्या ठीक नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित करने आवश्यक हैं और न केवल मापदंड निर्धारित करने चाहिए बल्कि इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए उन लोगों को भी हमें पुरस्कृत करना चाहिए, उन लोगों को भी हमें सम्मान देना चाहिए, जो इस प्रकार के कार्यक्रमों को सफल बनाने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं।

**महोदया,** जो बेलफेयर कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे विभिन्न राज्यों में, कुछ राज्य ऐसे हैं कि उनमें जितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए इन बेलफेयर कार्यक्रमों के तहत, उतना नहीं हो पाया है, तो इस बात पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे पिछले समय जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसके मुकाबले जो एचीवमेंट होना चाहिए था, वह कम था। मैंने इस और विभिन्न प्रांकड़ों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। इसी प्रकार असम में जो 1992-93 का आउट-ले है, वह 2,251.73 लाख है, इसके मुकाबले में जो एक्सपेंडिचर हुआ, वह कम हुआ। तो वह कम क्यों हुआ, यह देखना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार जो नागरिकों है, गोवा है, केरल है, इनमें भी इस बात पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है तभी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों को सफल बना पाएंगे।

एक बहुत स्पष्ट बात में कहना चाहंगा कि जब हम परिवार नियोजन कार्यक्रम पर चर्चा करते हैं तो हमें जो बोटों की राजनीति का गुतरमुर्गी नजरिया है, उम पर भी गौर करना चाहिए। हम जहां अपना ध्यान बोटों की राजनीति पर केन्द्रीत करते हैं जहां हम इस बात पर प्राथमिकता और

वरीयता देते हैं कि हम उस परिवार का सम्मान करें जिसमें बहुत ज्यादा सदस्य हैं, वही दूसरी तरफ जब हम परिवार नियोजन कार्यक्रम पर केवल आदर्शवादी होते हुए भाषण देते हैं तो यह बदला हुआ नजरिया समझ में नहीं आता है। तो हमें उस परिवार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए जिस परिवार में बहुत ज्यादा सदस्य हैं, तब हम इस प्रकार के कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के आगे आने की बहुत ज्यादा जश्नरत है।

महोदया, हमें दूसरे देशों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जो हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर है, यदि हम आंकड़े देखें तो वह हमारे देश की 2.14 प्रतिशत है, लेकिन जब हम दूसरे देशों के आंकड़े देखते हैं तो, महोदया, हम इस नीजे पर पहुंचते हैं कि उन देशों को जो जनसंख्या वृद्धि दर है, वह हमारे देश के मुकाबले में काफी कम है। यदि हम श्रीलंका की जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो वह 1.31 प्रतिशत है, चीन की 1.44 प्रतिशत है, इंडोनेशिया की 1.59 प्रतिशत है, थाईलैंड की 1.48 प्रतिशत है। लेकिन जब हम अपने देश की जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं तो 1971 से 1981 के बीच में यह 2.2 प्रतिशत थी जो अब यह घटकर 2.14 प्रतिशत 1981 से 1991 के दशक में हो गई है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। जबकि हमारा 2001 तक का जनसंख्या वृद्धि दर का जो लक्ष्य है वह 1.65 प्रतिशत है। यदि हम विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर पर दृष्टि डालें तो 70 के दशक में यह दो प्रतिशत थी और अब 1.7 प्रतिशत हो गई है। यह भी हमारे देश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, उससे कम है। तो निश्चित रूप से हमारे देश में इन बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जहां आवास समस्या, जहां कपड़े की समस्या, जहां भूख की समस्याओं का सम्मना हमें करना पड़ता है वही देश के विकास कार्यों में भी व्यवधान होता है। जैसे रांस्कृति में कहावत है :

**“विभूक्षितः किम् न करोति पापम्”**

जो भूखा है वह क्या नहीं करता ? जब भूखा पेट होगा, जब घर में परिवार में काफी सदस्य होंगे, जब उसको रोटी-कपड़ा और मकान के साधन उपलब्ध नहीं होंगे, जब उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा, तो निश्चित रूप से वह कोई न कोई गुनाह की तरफ प्रेरित होता है, कोई न कोई गलत काम करता है या कोई न कोई पाप करता है या किसी भी प्रकार की शरारत या धीर्घामुस्ती में अपने आपको जोड़ता है या आतंकवादी गतिविधियों में अपने आपको लिप्त करता है। इसलिए आज हमारे देश की आवश्यकता है कि हम इस बात पर जोर दें कि हम परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करें।

महोदया, हमारे देश का जो उत्पादन है और जो आवश्यकता है, जब जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है तो उस रेखों को जब हम देखते हैं तो हम इस नीजे पर पहुंचते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम इस बारे में विचार करें। यद्यपि आठवीं योजना के लिए जो घोषित कार्य नीति तय की है, उसमें जनसंख्या नियंत्रण को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और जन्म दर को घटाकर 26 प्रति तक लाना इन्होंने निर्धारित किया है। लेकिन पिछले दिनों स्वामीनाथन की जो कमेटी बनी थी उसने कुछ रिक्सॉनेशन दी थी। उन संस्तुतियों के आधार पर निश्चित रूप से सरकार को एक नेशनल पोपुलेशन पॉलिसी के रूप में आगे आना चाहिए और कुछ करना चाहिए, ऐसा मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह है।

महोदया, 1994 में कौरो में एक कॉर्फेस हुई थी – पोपुलेशन एंड ड्वलपमेंट पर। उसमें हमारे देश ने भी भाग लिया था। वहां जो विभिन्न देशों से जनसंख्या वृद्धि दर का घटाने के लिए जो मुक्ताव आए थे, उन मुक्तावों पर भी गौर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे देश ने यद्यपि इस कौरो के सम्मेलन में भाग ले लिया था लेकिन वहां से जो आखिरी ड्रॉफ्ट तैयार हुआ था, उसका पालन हमारे देश में हो और हम उन परिवारों को वह सब इंसेटिव

दे पाएं जो परिवार इस प्रकार के कार्यक्रमों का पालन कर रहा है ? उन परिवारों को इस प्रकार के लाभ से बंचित करें डिस्ट्रिक्ट वे जो परिवार नियोजन कार्यक्रमों में दिलवस्ती नहीं ले रहे हैं । इसलिए सरकार को इस संबंध में कड़ाई से व्यवहार करना बहुत ज्यादा जरूरी है । महोदया, जो नसबंदी कार्यक्रम है, पुरुषों का नसबंदी अपरेशन होता है और उसमें उसको 180 रुपए दिया जाता है । महिलाओं का जो ट्यूबकटॉमी अपरेशन होता है उसमें दो सौ रुपए दिया जाता है । महोदया, बिक्कुल सहज भाव में इस पर विचार किया जा सकता है कि जब एक पुरुष यह अपरेशन कराता है तो उसे कम से कम 10-15 दिन विश्राम की आवश्यकता होती है । अगर आप उसे 180 रुपया प्रदान करेंगे और यदि वह पुरुष उस घर का मुखिया है और मुखिया होने के नाते यदि वह पूरे परिवार का पालन-पोषण कर रहा है तो 180 रुपए में वह सात दिन तक अपने परिवार को कैसे खिला सकता है । इसी प्रकार यदि महिला पर पूरा घर आवश्यक है, तो दो सौ रुपए में वह एक सताह तक कैसे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकती है । तो अब जब परिवार नियोजन कार्यक्रम पर गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं, जनसंघ वृद्धि दरन बढ़े, जनसंख्या में वृद्धि न हो, इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं तो हमें इस बारे में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो ट्यूबकटॉमी और वसेक्टोमी के लिए हम लोग बत्तेय मदद देते हैं, उसमें बढ़तरी करें ।

महोदया, इस संबंध में हम लोगों को दूसरे देशों से भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है । इंडोनेशिया में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बहुत महत्व दी जाती है । वहाँ पर तो एक संघीय से रेजिनेशन के बल इस बात के लिए ले लिया गया कि उसके घर में बहुत ज्यादा बच्चे थे । यह एक बहुत बड़ी मिसाल है लेकिन यहाँ तो लोग गर्व के साथ कहते हैं, एक प्रदेश के मुख्य संघीयों तो बहुत गर्व के साथ इस बात को उजागर करते हैं कि उनके इन्हें बच्चे हैं । इसी प्रकार चीन और थाईलैंड है । चीन के बारे में जबकि यह कहा जाता है कि चीन की जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन उसकी जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर हमारे

भारत के अनुपात में कमी आ रही है । वहाँ भी जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को बढ़ावा बहुत ज्यादा दिया जा रहा है और इसके लिए वहाँ के राज्यों द्वारा आगे आ रहे हैं । एक बात और कहीं जाती है इंडोनेशिया के बारे में जबकि इंडोनेशिया जो हैं....

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिंहा) :** मिस्टर पचौरी, एक मिनट । आप इस विधेयक के सबर हैं । पिछले दिन भी, 19.5.95 की भी आपने काफी समय लिया था, लगभग अधा घण्टा बोल चुके थे और आज भी आपने काफी समय लिया है । अब कितनी देर लगेगी ? आप अल्पी खत्म कीटें ताकि और भी लोग इसमें शरीक हो सकें ।

**श्री सुरेश पचौरी :** मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्पी खत्म करूँ ।

महोदया, मैं यह कह रहा था कि इंडोनेशिया में जो कि मूस्तकम राष्ट्र माना जाता है, उसमें वहाँ दो जो धार्मिक नेता हैं, वे बढ़-बढ़ कर परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं । हमारे देश में इस बात की सीढ़ी लो जानी चाहिए । चीन और थाईलैंड में जो वहाँ के नेता और सख्ताती कर्मचारी हैं, पस्ताह में एक दिन परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार करते हैं । इन देशों से दर सलं हमको कुछ उदाहरण लेने चाहिए और हमको लज्जित होना चाहिए । हमारे यह धर्म की आड़ लेकर इन परिवार नियोजन कार्यक्रमों में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जाती है जबकि परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है, उसकी सफलता जाती है वह सुरक्षित आधार पर रही संभव है । इसीकारण जब मैं यह बात कह रहा हूँ कि जो परिवार नियोजन को अपनाए, उसको बाधित इनाक्मेंट मिलनी चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उसकी सुधिधा मिलनी चाहिए, उस परिवार को पदोन्नतियों में वरीयता पिलानी चाहिए, विनीय संस्थाओं के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से जो लोन दिए जाते हैं, उसमें प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, मकान आदि के आवंटन में उसको आवासिकता मिलनी चाहिए, चिकित्सा सुविधा शिक्षा सुविधा आदि में भी उसका प्राथमिकता मिलनी

चाहिए, बसों और रेल में जब वह परिवार ट्रैक्टर करे तो उसमें उसको कैमेण्ट मिलना। चाहिए, कालेजों में और स्कूलों में जब उनके बच्चों को एडमिशन देने की बात आए तो उस परिवार को प्रायमिकता मिलनी चाहिए जिस परिवार में दो बच्चे हैं।

महोदया, साथ ही एक ऐसा जनमनसंतैयार करना चाहिए कि जिस घर में प्रविधियाँ हैं, उस घर की बंध परंपरा आगे नहीं बढ़ पाएगी, इस बात को निष्पत्ति हित किया जाना चाहिए और इसके लिए हमको एक वातावरण निर्मित करना चाहिए, यहीं में साथ आपसे आग्रह है और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इस विल पर चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो परिवार दो बच्चों से ज्यादा पैदा करेगा, उस परिवार के लोगों को यदि वे सरकारी नौकरी में हैं तो जो विभिन्न सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं से उन्हें बंचित किया जाए और यदि वे गवर्नर्मेंट सर्विस में नहीं कर किसी और रूप में काम कर रहे हैं तो उन्हें जिन सुविधाओं का मैने उल्लेख किया है, उन सुविधाओं से उनको बंचित किया जाए और जो परिवार दो संतानों के फारूकों को अपनाता है, उसे ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिनका मैने उल्लेख किया है। इन्हीं शब्दों के साथ जो छोटा परिवार (प्रोत्साहन और आवश्यकरण) विधेयक, 1991 प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री जो जब अपना उत्तर देगे तो निश्चित रूप से धारात सरकार की तरफ से जो इस दिशा में प्रधास किए जा रहे हैं, उन प्रधासों को बतलाएंगे। लेकिन वह देश जो बड़े उत्साह के साथ जैसे थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया, जो इन कायंकमों को अपना रहे हैं उन देशों से प्रेरणा लेकर इस देश में भी कैरो सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए नयी पानियाँ अखिला करें ताकि हमारे देश प्रगति और विकास के द्वार पर दस्तक दे सके।

**श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश) :** उपसत्ताध्यक्ष महोदया, मुझे प्रसन्नता है कि मझे इस विषय पर बोलने का अवसर मिला है। विषय तो बहुत अच्छा है लेकिन जब म

यह सब पढ़ता हूं तो मृझे इस बात पर हैरानी और परेशानी होती है कि यह दि स्माल फेमिली (इंटीसेब्स एंड सोटिवेशन) बिल, 1991 है और आज यह 95 में बहस के लिए यहाँ आया है। अच्छी बात है कि देर से आया परन्तु आया। यह बहुत अच्छा बिल है। मृझे चिंता इस बात की है कि हमारे माननीय श्री सुरेश पचौरी जी सतारूढ़ पक्ष के सदस्य हैं जो डस बिल को लाए हैं। इनकी सरकार वर्षों से चल रही है और आज भी इन्हीं की सरकार है मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह सरकार किसी भी मामले को लेकर क्यों गंभीर नहीं है? क्या यह सुरेश पचौरी जी के लाने का विषय है? क्या सरकार को अपनी तरफ से कोई इनीसियेटिव नहीं लेना चाहिए था? 50 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए। बढ़ती हुई आबादी का खतरा शायद हमारी योजनाओं को असफल कर देगा। लेकिन मृझे नहीं लगता कि सरकार कुछ करने जा रही है या किसी विषय पर गंभीर है। अब इस बढ़ती हुई आबादी पर कोई तर्क-वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सारी दुनिया के एडबोस देशों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि छोटा परिवार किसी भी देश के लिए आवश्यक है और वे इसको महत्वपूर्ण समझ रहे हैं और इस बारे में कायंकमों को लागू भी कर रहे हैं। लेकिन यह खतरे का विषय है कि हमारे देश में, हमारी सरकार ने विल्कुल कुछ नहीं किया है यह तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन इतना कम किया है यह तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन इतना कम किया है यह तो मैं नहीं कहूंगा। सरकार को इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी संकट के स्तर को पार कर गयी है और लंबे-लंबे भाषण करना इस समस्या का हूं नहीं है। बढ़ती हुई आबादी के कारण रहने की समस्या खड़ी हो गयी है। किस कदर बुरी हालत में लोग रह रहे हैं, यह अप सब को मालूम है। आप बस्बाई चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए यहाँ पर ज्ञाम-ज्ञान-पढ़ियों का क्या हाल है? बढ़ती हुई आबादी के कारण रहने की समस्या है। किस बुरी हालत में लोग रह रहे हैं। लोगों को कम नहीं मिल पा रहा है। इसका एक मात्र कारण बढ़ती हुई आबादी है। देश हमारा उतना ही है, हमारे पास भूमि उतनी ही है। भूमि को नहीं बढ़ाया जा सकता है। जो भूमि हैं उस पर

## [श्री नारायण प्रभाद मुन्ना--जारी]

थोड़ा बहुत उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। देश की बहुत सारी भूमि देश के विभाजन के बाद पंजाब का जो महन्त्वपूर्ण हिस्सा था वह पाकिस्तान में चला गया है। इसलिए सारे देश के लोगों का पेट भरने के लिए उत्पादन भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन, फिर भी, इस बढ़ती हुई आबादी को रोकने लिए मरकार चिंतित नहीं है, गंभीर नहीं है। न सरकार के पास कोई योजना है और न कोई योजना वह सक्रियता से लागू करना चाहती है। यह सरकार सब काम इसी तरह से कह रही है। कोई भी काम नहीं हो रहा है। 50 साल हो गए। सरकार को यह बिल बहुत पहले ले जाना चाहिए था। न जाने यह सरकार किस दबाव में काम करती है। अच्छा हुआ कि भाई पचौरी जी इस को लाए। वे सत्ताखड़ पार्टी के सदस्य हैं लेकिन वे महसूस करते हैं कि वोट की राजनीति इसमें रास्ते में आ रही है। मैं नहीं समझता कि कोई वोट के कारण देश का अहित कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है कि यह देश के जनता के लिए एक विवार करने का विषय होगा कि इस प्रकार की सरकार को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बढ़ती हुई आबादी का सकट कितना है, आप टाइलट में चले जाइए लाइन लगी मिलेगी, आप यूरीनल में चले जाइए जगह नहीं है, बैंकों में पैसा जमा करने के लिए चले जाइए लम्बी लाइन लगी रहती है, रेलों में जगह नहीं है, बसों में लोग कीड़े-मकोड़ों की तरह भरे रहते हैं। इस बढ़ती हुई आबादी के कारण हम उनके लिए उत्तरा अन्न पैदा नहीं कर पा रहे हैं और विदेशों से आयात करके लोगों को अन्न खिला रहे हैं। तो यह बढ़ती हुई जनसंख्या के संकट को सरकार को समझना चाहिये। यह मैं नियेदन करना चाहता हूँ हाउस में कि सरकार इसको गम्भीरता से ले। अब इसके लिए मुख्य प्रश्न यह नहीं रहा कि यह विषय क्या चर्चा का है। जहाँ तक आबादी का प्रश्न है शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जिसकी आबादी कम हो और आबादी बढ़ाने के लिए चिंतित हो। मैं उनको रोकना तो नहीं चाहता लेकिन अधिकांश दुनिया के देश बढ़ती हुई आबादी में चिंतित हैं। इन्होंने इसको रोकने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए हैं। चीन ने, जापान ने, थाईलैंड

में तो इतनी सख्ती है। ईवन हमारे बाजे में जो बंगलादेश है उसने भी बढ़ती हुई आबादी को नियंत्रित करने के लिए बहुत कड़े कदम उठाए हैं। हमारे यहाँ तो अभी ए. बी. सी. डी. की शूल्घात भी नहीं हुई है। प्रचार-प्रसार जरूर किया गया है। लाखों करोड़ों रुपये खर्च किये गए हैं परिवार नियोजन के नाम पर। यह जरूर है कि कुछ कुछ लोगों के ध्यान में यह बात आई है, लोग शिक्षित हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इतना ही प्रयास देश की आबादी को रोकने के लिए काफी नहीं है। अन्यथा जो भी योजना हम बनाएंगे, जिस गति से आबादी बढ़ रही है, वह योजना सफल होने बाली नहीं है। अब मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि परिवार छोटा हो या बड़ा रहे। दुनिया चाहे कुछ भी कर रही हो लेकिन चीन और हिन्दुस्तान जैसे देश जो बढ़ती हुई आबादी से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, समस्याग्रस्त हैं, इनको तत्काल अपनी आबादी पर नियंत्रण करने के लिए कोई कड़े कानूनी प्रावधान करने चाहिये। अभी कानूनी प्रावधान नहीं है। ऐचिक प्रावधान है। होना भी यही चाहिये। कि ऐचिक हो। लोग शिक्षित हो जाएं। खुद अपने परिवार को छोटा रखें। कुछ चेतना समाज में आई है, यह बात जरूर है। लेकिन कुछ में आ गई है तो बाकी बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है जो शायद इस बात के लिए आवश्यकता महसूस नहीं करता है। उन्होंने कुछ इंगित भी किया। अब यह कहा जाता है कि इस विषय को मत छेड़ो। एक माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया तो यह कहा कि इसे मत छेड़ो। अब उसमें वोट की राजनीति है। कौन सा धर्म आड़े आ रहा है? मैं आपको बताऊं कि इतना एडवांस मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया वहाँ नमाज के बाद यहू मारा दक्षत के लिए इसके उपदेशों के लिए दिया जाता है। एक आबादी को कैसे सीमित रखना है। जोते वक्त उनको दबावांश भी वितरित की जाती हैं। यह देश बढ़ती आबादी के सकट से ग्रसित है, इन खतरों के कारण आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन हिन्दुस्तान को सरकार कोई कड़े कायदे बानन नहीं बानना चाहती है। पहला विषय तो यह है कि लोग स्वेच्छा म पालन करें, बहुत अच्छा हो जाएंगा। सारा देश पालन करे, सभी समाज पालन करे। किसी की धार्मिक मान्यता

आइ आरही है या नहीं, इस पर मैं बहुत ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। अब उन पर हम छोड़ दें कि वह आबादी बढ़ाने में ही लगे हैं तो लगे रहें? हम लोग मैस्टर आफ पालिय-मेट जहाँ निःशस करते हैं, मेरा रोज का अनुभव है। कपड़े धोने वाले एक सज्जन हैं, नाम बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है 8 बच्चे हैं, एक के बाद एक, सड़कों पर घूमते हैं, एक एक साल या एक साल से भी कभी का अंतर है उस सब के बीच। रोज एक-प्राप्त बच्चा हुवेटनाभल्स हो जाता है। आठ बच्चे हैं और नवाँ होने वाला है। वह हमारी हालत है आज। वह आज़क्षण्ट हाने के कारण कर रहे हैं लेकिन आगर मान जाएं, समझ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। वही जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है, जहाँ गरीबी ज्यादा है। इसलिए समृद्ध होने के लिए ज़रूरी है कि जनसंख्या की जो वृद्धि है, उसको रोका जाए। इसलिए सब से पहले तो स्वैच्छा से, प्रचार-प्रसार से सारा देश अपने हित को ध्यान में रखते हुए इसको लागू करे, यह देश की सब से बड़ी सेवा होगी। लेकिन जो लोग नहीं लागू करना चाहते हैं अशिक्षकों के कारण या शार्मिक भान्यताओं के कारण उनको मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सरकार को उनको अनु-ज्ञासन में लाने के लिए कोई कायदे कानून की गरुआत करनी चाहिए। अभी तक कोई कायदे-कानून नहीं है। अब राजन्यान सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस परिवार में दो बच्चे में ज्यादा होंगे वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। यह भी कर सकते हैं कि आगर बच्चे बढ़ाते जायें तो आपको प्रोलेशन नहीं है। बच्चे बढ़ाने जाइये आपके परिवार में से एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। यदि आठ बच्चे होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ समझ आ रहा है कि उसके क्या परानाम होंगे। लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, इस बान को नहुस कर रहे हैं कि आबादी बढ़ाने के क्या खतरे हैं। देश का जो अनुशासन है सब को उसका पालन करना चाहिये। इन खतरों को धीरे-धीरे महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए कोई सख्त कायदे कानून बना सकते हैं कि आगर आप देश का अनुशासन नहीं भानेंगे तो आपको नौकरियां नहीं मिलेगी भवान का अधिकार भी उसमें से एक है। सरकार यह कह सकती है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अन्न का वितरण होता है। परमिट बनेगा, इतने लोग आपके

घर में होंगे तो परमिट बनेगा आपके घर में 11-15 लोग हैं तो परमिट नहीं बन सकता है। अब कई तरह के बंधन हैं जो कानूनी हो सकते हैं। इसका भी थोड़ा सा लाभ ज़रूर होगा और सरकार को अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिये इस दिशा में कि यह आबादी को नियंत्रित करने के लिए कोई कड़े कदम उठाने जा रहे हैं ताकि देश में बातावरण बने अन्यथा किसी भी प्रकार की योजनाएं आप बनाइये हर बार सारा देश रोटी कपड़ा और मकान में ग्रसित रहने वाला है क्योंकि देश की बढ़ती आबादी का बहुत भयावह चिन्ह है। इसको रोकने के लिए यह बिल देश में ही क्यों न चर्चा के लिए आया हो लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार क्या उत्तर देगी मुझे मालूम नहीं है लेकिन सरकार को बहुत अच्छे प्रावधान करने चाहिये, कानूनी प्रावधान करने चाहिये। यह केन्द्र और प्रदेश दोनों का विषय हो सकता है। लोगों पर कुछ बंधन डाले जाएं तब तो आबादी का नियंत्रण होगा और सारे देश को इसका लाभ ज़रूर होगा। मैं समझता हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे जिसमें कानूनी प्रावधान भी होंगे। इन शब्दों के सथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI KAMLA SINHA):** In the morning we had a discussion on the Patents Bill.

मंत्री महोदया मौजूद है और नामों की घोषणा करना चाहती है। क्या इस पर सदन की अनुमति है।

**THE PATENTS (AMENDMENT) BILL, 1995—CONT'D.**

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI):** Madam, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Patents Act, 1970, as passed by